



माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क / 2018 / निगरानी निगरानी - 3692/2018/छतरपुर भू-2

लक्ष्मी प्रसाद पुत्र श्री काशी प्रसाद
अग्रवाल निवासी गांधी नगर बजरंग
चौक महोबा जिला महोबा उ0प्र0
कृषक ग्राम पठा तहसील लोंडी
(लवकुश नगर) जिला छतरपुर म0प्र0
मो0न0 8707411534

—प्रार्थी

बनाम

बलराम कुशवाह पुत्र श्री कन्हैयालाल
कुशवाह ग्राम पठा तहसील लोंडी
(लवकुश नगर) छतरपुर म0प्र0
मो0न0 9794448008

—प्रतिप्रार्थी

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भूराजस्व संहिता 1959 विरुद्ध
प्रकरण कमांक 0061/अ-12/2017-18 मे पारित आदेश दिनांक
20.04.2018 पारित द्वारा तहसीलदार तहसील लोंडी (लवकुश नगर)
छतरपुर (म0प्र0)

श्रीमानजी,

प्रार्थी की ओर से सविनय निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है:-

कमश: 02

श्री. फ. सुधा प्र.

6/6/18

श्री. फ. सुधा
द्वारा आज दि. 6-6-18 को
प्रस्तुत। प्रारंभिक दर्जा हेतु
दिनांक 28-6-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3692/2018/छतरपुर/भू.रा.

लक्ष्मीप्रसाद विरूद्ध बलराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-12-2018	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत ।</p> <p>2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री सी.एम.गुप्ता उपस्थित ।</p> <p>3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार तहसील लोंडी (लवकुशनगर) के प्रकरण क्रमांक 0061/अ-12/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 20-04-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।</p> <p>4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधनवर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये हैं ।</p> <p>5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 22-02-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये ।</p>	<p><i>(ज.के. जैन)</i> सदस्य</p> <p>31.12.18</p>